

प्रेषक-

एस०एन०त्रिपाठी
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
फिरोजाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक सं०- 62 / XV - 2022, पारिवारिक न्यायालय फिरोजाबाद दिनांक 04/04/2022

विषय- स्कूटी होण्डा एक्टिवा क्रय करने की सूचना बाबत।

प्रसंग- माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13-07-1998 के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मैंने वाहन स्कूटी हाण्ड एक्टिवा नम्बर यू०पी०-50 बी एक्स 1759 वर्ष 2020 में मुव०- 89,000/रूपये में क्रय किया था उसी दौरान मेरे पिता जी की मृत्यु होने के कारण मेरे अवकाश पर जाने तत्पश्चात् मेरा स्थानांतरण जिला -आजमगढ़ से जिला- फिरोजाबाद हो जाने एवं फिरोजाबाद आने पर कोविड-19 की बीमारी से परिवार सहित स्वयं के प्रभावित होने के कारण उसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय -इलाहाबाद को समय से नहीं भेजी जा सकी थी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सरकुलर लेटर नम्बर 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13-07-1998 के अनुक्रम में सूचना सादर अवलोकनार्थ एवं कृपा पूर्व विचारार्थ प्रस्तुत है। सूचना देरी से भेजने के लिए खेद है।

सादर

भवदीय,

(एस०एन०त्रिपाठी)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
फिरोजाबाद।
Firozabad

दिनांक-04-04-2022

- संलग्नक:- 1- परिपत्र संख्या 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13-07-1998 के अनुक्रम में सूचना
2- बैंक खाता संख्या 10961705312 से चैक नम्बर -966762 की राशि
मुव०- 89,000/रूपये की कटौती दिनांकित 13-11-2020 की प्रति
3- एजेसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
4- मेरी पुत्री प्रतिभा त्रिपाठी के नाम वाहन संख्या यू०पी०-50 बी एक्स 1759 के रजिस्ट्रेशन की प्रति।